



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-2564/CG/13/2025-RU-I

दिनांक: 13.07.2026

जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी
जिला-बस्तर,
कलेक्टर परिसर, जगदलपुर,
बस्तर, छत्तीसगढ़- 494001
ई-मेल: bastar.cg@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-बस्तर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
कलेक्टर परिसर, जगदलपुर,
बस्तर, छत्तीसगढ़ - 494001
ई-मेल: spbaster.cg@gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ विवाह कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से अपमान कर मार-पीट करने के संदर्भ में श्री रामनाथ कश्यप, सदस्य, जनजातीय सलाहकार परिषद्, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त दिनांक 24.05.2025 का अभ्यावदेन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 10.07.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 23.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णन्दु कान्त

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रामनाथ कश्यप,
सदस्य,
जनजातीय सलाहकार परिषद्, छत्तीसगढ़ शासन,
शबरी कन्या आश्रम परिसर, कंचन गंगा फेस-2,
रोहणीपुरम, रायपुर-492010, छत्तीसगढ़
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

श्री लखन कुमार कश्यप,
ग्राम-नरावंड, पुलिस थाना-करपावंड,
जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।